



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 18 सितम्बर, 2007 / 27 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2007

संख्या: आवास-6(एफ)5-11/2005.—यतः हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-3 के खण्ड(सी0सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक प्राधिकरण है की अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मौजा कोठो व मौजा जटोली तहसील व जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में आवास बस्ती के निर्माण हेतु निम्न लिखित विवरणी में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जित करना अपेक्षित नहीं है।

अतः अब राज्यपाल हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सम संख्यक दिनांक 21.2.2006 व 23.9.2006 जिसके द्वारा मौजा कोठो व मौजा जटोली तहसील व जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में आवास बस्ती के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की गई से अब निम्नलिखित भूमि को भू- अर्जन कार्यवाही से सहर्ष वापिस लेते हैं।

विवरणी

जिला	तहसील	मौजा	खसरा नम्बर	रकवा
सोलन	सोलन	कोठो	78	0-16
			83/1	1-16
			88	1-12
			80	3-1
			81	5-9
			73	2-9
			123/74	0-18
			124/74/2	5-13
			126/75	1-19
			125/75	1-9
			77	5-12
			71	1-4
			72	1-3
			76/2/1	0-12
			84	7-6
			85/1	6-14
			86/1	4-8
			79	0-14
			82/2/2/1	1-18
			87	2-3
			<u>20 कित्ता</u>	<u>56-16 बीघा</u>
जिला	तहसील	मौजा	खसरा नम्बर	रकवा
सोलन	सोलन	जटोली	62/41	31-1
			<u>77/71/37/1</u>	<u>26-8</u>
			<u>2 कित्ता</u>	<u>57-9 बीघा</u>

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव।

अधिसूचना

शिमला-2, 14 सितम्बर, 2007.

संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(6)-1/2003-पी0एफ0-।- हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9)की धारा 13 की उप धारा (2) में संलग्न अनुसूची में संशोधन का प्रारूप उक्त अधिनियम की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन हेतु सम्भाव्य व्यक्तियों से आक्षेप व सुझाव आमन्त्रित करने के लिये इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(6)-1/2003-पी0एफ0-। तारीख 5 जुलाई, 2007 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 16 जुलाई, 2007 को प्रकाशित किया गया था और नियत अवधि के भीतर इस निमित्त में कोई भी आक्षेप व सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9) की धारा 13 की उप धारा (2)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 की अनुसूची-II में क्रम संख्या 6 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् नई प्रविष्टि 7 जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

<p>" 7 सेना और वायुसेना में सेवारत कार्मिकों से सम्बन्धित हल्के यान्त्रिक यान चाहे वे यात्रा करते समय कर्त्तव्य पर हों या कर्त्तव्य पर न हों और उनके पति या पत्नी व आश्रित बच्चे ।</p>	<p>पहचान पत्र और यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर तथा अपने पति या पत्नी व आश्रित बच्चों के लिए सेना/वायुसेना प्राधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि वे ऐसे कार्मिक के परिवार के सदस्य हैं तथा यात्रा अपने निजी कार्य हेतु कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई कारबार से संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं।</p>
--	--

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this department notification No: EXN-F(6)1/2003- P I dated 2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th September, 2007

EXN-F(6)1/2003-PF-I.—Whereas the draft amendments in Schedule appended to the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975) was notified vide Notification No. EXN-F(6)-1/2003-PF-I dated 5th July, 2007 published in Rajpatra Himachal Pradesh (Extra Ordinary) on 16th July, 2007 in pursuance of sub-section (2) of section 13 of the aforesaid Act for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby;

And whereas no objection(s) /suggestion(s) have been received within the stipulated period in this behalf.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in Schedule-II appended to the Act with immediate effect: -

AMENDEMENT

In Schedule-II of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 after the existing entry at serial No. 6 a new entry 7 shall be added, namely: -

<p>“7. The light mechanical vehicles belonging to the serving personnel of the Army and Air Force whether they are traveling on duty or off duty and their spouses and dependent children.</p>	<p>On production of Identity Card and Registration Certificate of the vehicle and certificate from the Army/Air Force authorities in favour of their spouses and dependent children to the effect that they are the members of the family of such personnel and are undertaking the journey for their private work and are not carrying out any business activities.</p>
--	--

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 22 अगस्त, 2007

संख्या: 7-22 / 2002-ई.एक्स.एन.-20684.—प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों तथा प्रवृत्त पंजाब एक्सार्जि ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्सार्जि पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मै, एस.के.बी.एस.नेगी, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्द्वारा उक्त क्षेत्रों में

यथा लागू समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूलज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूलज कहा गया है") में 1.10.2007 से निम्नलिखित और संशोधन करता हूँ :-

संशोधन

In the said rules :-

1. In rule 93,-

In sub-rule (k) of Rule 93 after sub-clause (f) the following sub-clause (g) & (h) shall be inserted namely:-

- (g) Maximum Retail Sale Price;
- (h) Telephone number & E-mail address, if available.

आदेश द्वारा,

हस्ता / -

आबकारी एवं कराधान न आयुक्त।

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF EXCISE & TAXATION DEPARTMENT NOTIFICATION No.7-22/2002-EXN-20684 DATED 22nd August, 2007 AS REQUIRED UNDER ARTICLE 348(3) OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Shimla-171009, the 22nd August, 2007

No. 7-22/2002-EXN-20684.—In exercise of the powers conferred by section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, S.K.B.S.Negi, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendment in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with effect from 1.10.2007 :-

AMENDMENT

In the said rules :-

1. In rule 93,-

In sub-rule (k) of Rule 93 after sub-clause(f) the following sub-clause (g) & (h) shall be inserted namely:-

- (g) Maximum Retail Sale Price;
- (h) Telephone number & E-mail address, if available.

By order,

Sd/-

Excise & Taxation Commissioner.

अधिसूचना

शिमला-171009, 22 अगस्त, 2007

संख्या: 7-22/2002-ई.एक्स.एन.-20684—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को अन्तर्गत राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, एस.के.बी.एस.नेगी, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूलज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूलज कहा गया है") में 1.10.2007 से निम्नलिखित और संशोधन करता हूँ :-

संशोधन

In the said rules :-

1. In rule 9.93,-

In sub-rule (k) of Rule 9.93 after sub-clause(f) the following sub-clause (g) & (h) shall be inserted namely:-

- (g) Maximum Retail Sale Price;
(h) Telephone number & E-mail address, if available.

आदेश द्वारा,
हस्ता/—
आबकारी एवं कराधान न आयुक्त।

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF EXCISE & TAXATION DEPARTMENT NOTIFICATION No.7-22/2002-EXN-20684 DATED 22nd August, 2007 AS REQUIRED UNDER ARTICLE 348(3) OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-171009, the 22nd August, 2007

- **No.7-22/2002-EXN- 20684.**—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the Territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Power and Appeal) Orders, 1965, I, S.K.B.S. Negi, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 1.10.2007:-

AMENDMENT**In the said rules:-**

1. In sub-rule (31) of Rule 37 for the words, sign and figures appeared after sub clause (c) and before the 1st proviso the following shall be substituted, namely: -

In case of Indian Made Beer the capacity of bottles shall be 650 mililitres and 500 mililitres & 330 mililitres & in the case of Indian Made Cider and Sweet Wines the capacity of bottles shall be 750 mililitres, 650 mililitres and 330 milliliters.

2. For the existing sub-clause (ii) of Rule 38(15)(k) the following shall be substituted, namely:-

- “ (a) the name of the manufacturer.
- (b) the district in which it is situated,
- (c) the kind of liquor bottled,
- (d) the strength of the liquor in degrees of proof,
- (e) the degree of obscuration; and
- (f) in case the country spirit, the words “Desi Sharab” in Devnagari script.
- (g) Maximum Retail Sale Price.
- (h) Telephone number & E-mail address, if available.

By order,
Sd/-

Excise & Taxation Commissioner

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 22 अगस्त, 2007

संख्या: 7-22/2002-ई.एक्स.एन.-20684.-प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों तथा पंजाब पूनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्सार्जि ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (एक्सार्जि पावर एण्ड अपील) आर्डर, 1965 द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त(आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मै, एस0के0बी0एस0 नेगी, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश एतद द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसेंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात “उक्त रूल्ज” कहा गया है) में 1.10.2007 से और संशोधन करता हूं :-

संशोधन

In the said rules:-

1. In sub-rule (31) of Rule 37 for the words,sign and figures appeared after sub-clause (c) and before the 1st proviso the followking shall be substituted, namely :-

In case of Indian Made Beer the capacity of bottles shall be 650 mililitres and 500 mililitres & 330 mililitres & in the case of Indian Made Cider and Sweet Wines the capacity of bottles shall be 750 mililitres, 650 mililitres and 330 mililitres.

2. For the existing sub-clause (ii) of Rule 38(15)(k) the following shall be substituted, namely:-

- “ (a) the name of the manufacturer.
- (b) the district in which it is situated,
- (c) the kind of liquor bottled,
- (d) the strength of the liquor in degrees of proof,
- (e) the degree of obscuration; and
- (f) in case the country spirit, the words “Desi Sharab” in Devnagari script.
- (g) Maximum Retail Sale Price.
- (h) Telephone number & E-mail address, if available.

आदेश द्वारा,
हस्ता / -
आबकारी एवं कराधान न आयुक्त।

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th September, 2007

NO. GAD-A(B)8-4/2001.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare 30th September, 2007 (Sunday) as public holiday (if necessary) in the Nagar Panchayat Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P. Ward No. 5 for the conduct of bye-election. All Government Offices, Boards, Corporations, Educational Institutions and Industrial Establishments under Industrial Dispute Act and shops will remain closed on the said date in the area of this Ward to exercise their right of franchise. This will also be a paid holiday to the daily waged employees and also within the meaning of Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881.

The Deputy Commissioner, Hamirpur is authorized to declare a public holiday on the date of poll (if necessary) in the concerned area within his jurisdiction. The public holiday declared by the Deputy Commissioner would be applicable only in the area where the election is taking place.

It is however, clarified that special casual leave/maximum facilities may be given to those employees who are working in different places in the State but have a right to vote in other constituency/places in the Pradesh on the production of certificate from the concerned Presiding Officer that the employee has actually cast his/her vote.

By order,
Sd/-
RAVI DHINGRA,
Chief Secretary.

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT**NOTIFICATIONS***Shimla-2, the 22nd August, 2007*

No.Health-A-B(2)-8/2000-Loose.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of 190 posts of Trained Dais in those Primary Health Centres of the following Districts, where the posts of Dais/Midwives have not been created earlier, with immediate effect, in the public interest:-

Sr.No.	Name of District	No. of posts of T.Dais created.
1.	Bilaspur	13
2.	Chamba	32
3.	Hamirpur	8
4.	Kangra	24
5.	Kinnaur	12
6.	Kullu	5
7.	L & S	5
8.	Mandi	10
9.	Shimla	48
10.	Solan	10
11.	Sirmour	16
12.	Una	7
	Total:	190

The expenditure on this account will be debited to the Head of account 2210-Medical & Public Health, 03-Rural Health Services, 110-Hospital & Dispensary, 01-Rural Health during the year 2007-2008.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the creation of one post of Class IV(Sweeper) for PHC Sach(Chamba) with immediate effect in the public interest.

The expenditure on this account will be debited to the Head of Account 2210-Medical & Public Health, 03-Rural Health Services, 796-Tribal Area Sub-Plan, 03-Primary Health Centre(MNP) SOON(State-Plan) during the year 2007-2008.

The above 190 posts of T.Dais including one post of Class-IV (Sweeper) be filled up on contract basis after completion of all codal formalities in this behalf.

This issues with the prior approval of the Finance Department obtained vide their U.O.No.50490919-Fin-F/2007 dated 1.8.2007 & U.O.No.50492563- Fin.F/2007 dated 1.8.2007 respectively.

Shimla-2, the 22nd August, 2007

No.Health-A-F(7)-3/2000-III.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of an ESI Dispensary at Jabli, District Solan (HP), with immediate effect in the public interest.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the creation of following 5 posts of various categories for the aforesaid Health Institution from the date of filing up, in Health and Family Welfare Department, in the public interest:-

Sr.No.	Name of Post	No. of Posts created
1.	Medical Officer	1
2.	Pharmacist	1
3.	FHW	1
4.	Class-IV	1
5.	Sweeper	1

The expenditure on this account will be debited to the Head of account 2210-Medical & Public Health, 01-Urban Health Services, 102-Employees State Insurance Scheme, 01-ESI Hospitals & Dispensaries, Non-Plan (SOON) P.C. during the year 2007-2008.

The above 5 posts of various categories be filled up on contract basis after completion of all codal formalities in this behalf.

This issues with the prior approval of the Finance Department obtained vide their U.O.No.50495135-Fin-F/2007 dated 1.8.2007.

By order,
Sd/-
Pr.Secretary.

—————
**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie,
District Chamba (H. P.)**

Shri Ashok Kumar s/o Shri Des Raj, r/o Bus Stand Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.).
.. Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. births and deaths Registration under section 13 (3) of the Registration Act, 1969.

Whereas Shri Ashok Kimar s/o Shri Des Raj, r/o Bus Stand, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of his son namely Mr. Manat *i.e.* on 25-2-2005 for entry in the record of concerned Municipal Council, Dalhousie thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public if any objection/claim regarding the registration of date of birth of his son namely Manat in the concerned Municipal Council, Dalhousie. They may file their claim/objections on or before the 4-10-2007 in this court failing which necessary order will be passed to the concerned Municipal Council, Dalhousie for registration.

Given today 31-8-2007 under my signature and seal of the court.

Seal.

(SHUBH KARAN SINGH) HPAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie,
District Chamba (H. P.)**

Miss Megha d/o Shri Chaturbhuj Gupta, r/o Glory Annexie Bus Stand Dalhousie, Tehsil Dalhousie,
District Chamba (H.P.). . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. births and deaths Registration under section 13 (3) of the
Registration Act, 1969.

Whereas Miss Megha d/o Shri Chaturbhuj Gupta r/o Glory Annexie Bus Stand Dalhousie, Tehsil
Dalhousie, District Chamba (H.P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the Registration
of her date of birth *i.e.* on 15-5-1980 for entry in the record of Municipal Council, Dalhousie thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public if any objection/claim regarding the
registration of date of birth in the concerned Municipal Council, Dalhousie. They may file their
claim/objections on or before the 4-10-2007 in this court failing which necessary orders will be passed to the
concerned Municipal Council, Dalhousie for registration.

Given today 31-8-2007 under my signature and seal of the court.

Seal.

(SHUBH KARAN SINGH) HPAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie,
District Chamba (H. P.)**

Shri Jai Parkash Singh s/o Shri Pritam Singh, r/o VPO Bagdhar, Tehsil Dalhousie, District Chamba
(H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. births and deaths Registration under section 13 (3) of the
Registration Act, 1969.

Whereas Shri Jai Parkash Singh s/o Shri Pritam Singh, r/o VPO Bagdhar, Tehsil Dalhousie, District
Chamba (H.P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of

his daughter namely Miss Priyanka Kumari *i.e.* on 2-1-2002 for entry in the record of concerned Gram Panchayat Bagdhar, thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public if any objection/claim regarding the registration of date of birth of his daughter namely Miss Priyanka Kumari in the concerned Gram Panchayat, Bagdhar. They may file their claim/objections on or before the 4-10-2007 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat, Bagdhar for registration.

Given today 31-8-2007 under my signature and seal of the court.

Seal.

(SHUBH KARAN SINGH) HPAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie (H.P.).

—————
**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie,
District Chamba (H. P.)**

Smt. Vejinder Kaur w/o Late Shri Kuldeep Singh, r/o Village Lohali, Ward No. 2, Tehsil Dalhousie,
District Chamba (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. births and deaths Registration under section 13 (3) of the Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Vejinder Kaur w/o Late Shri Kuldeep Singh, r/o Village Lohali, Ward No. 2, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of her daughter namely Miss Pushap Vishista *i.e.* on 8-3-1972 for entry in the record of concerned Municipal Council, Dalhousie, thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public if any objection/claim regarding the registration of date of birth of his daughter namely Miss Pushap Vishista in the concerned Municipal Council, Dalhousie. They may file their claim/objections on or before the 4-10-2007 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Municipal Council, Dalhousie for registration.

Given today 31-8-2007 under my signature and seal of the court.

Seal.

(SHUBH KARAN SINGH) HPAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie (H.P.).

श्री वेदू पुत्र श्री पूर्ण सिंह, गांव मालवां, डा0 धरूं बनेट, सब-तहसील सियुंता, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

इशतहार बराये नाम दूरुस्ती।

श्री वेदू पुत्र श्री पूर्ण सिंह उक्त ने एक प्रार्थना-पत्र व्यान हल्फी सहित प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम वेदू है और ग्राम पंचायत धरूं बनेट में गलती से वेद प्रकाश दर्ज है, मेरा सही नाम वेदू दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को आदेश जारी किये जावें।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वेद प्रकाश का सही नाम वेदू दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 9-10-2007 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में असागतन या वकालतन हाजर होकर प्रस्तुत करें अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को सही नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 1-9-07 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राकेश वर्मा (हि.प्र.से.),
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
भटियात (चुवाड़ी), जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री चैन सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व
जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री सुरिन्द्र सिंह

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री स्वरन सिंह, निवासी रायेसरी, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र विजय सिंह का जन्म गांव रायेसरी में दिनांक 9-10-1992 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2007 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जायेंगे ।

आज दिनांक 5-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

चैन सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री चैन सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना
(हि0 प्र0)

शिव कुमार

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री शिव कुमार पुत्र श्री ब्राहमा नन्द, निवासी मजारा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसकी माता श्रीमती माया देवी की मृत्यु गांव मजारा में दिनांक 22-8-2004 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जावें ।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2007 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जायेंगे ।

आज दिनांक 5-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

चैन सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : जन्म प्रमाण-पत्र

श्रीमती शुभ लता

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्रीमती शुभ लता पत्नी श्री सुशील कुमार, निवासी गांव कुरियाला, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र ऋषभ शर्मा का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जावे । उसके पुत्र का नाम ऋषभ शर्मा है तथा उसकी जन्म तिथि 7-3-2004 है और बच्चे का जन्म स्थान कुरियाला है ।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का नाम दर्ज होने में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-9-2007 को प्रातः 10.00 बजे स्वयं अथवा असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश दे दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 29-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / -
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत Shri Amer Nath, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Pema Choekyid Through Polhan Lhamo, Tibetan Colony Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Pema Choekyid d/o Shri Tashi Lhadher, निवासी Tibetan Colony, Bir, डाकखाना Bir, तहसील Baijnath, जिला Kangra (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Pema

Choekyid का जन्म दिनांक 1-1-1972 को Tibetan Colony, Bir में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है । अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें ।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उज़र/एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2007 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे । उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा ।

आज दिनांक 1-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

Amer Nath,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा(हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री अमर नाथ वर्मा, कार्यकारी, दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री पूर्ण चन्द, वासी कोठी, डा0 चढ़ियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shri Subhash Chand s/o Shri Puran Chand, निवासी गांव Kothi, डाकखाना Chadhiar, तहसील Baijnath, जिला Kangra, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता Smt. Pano Devi W/o Shri Harbhas, की मृत्यु दिनांक 13-8-2008 को महाल Kothi, P.O. Chadhiar में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें ।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उज़र/एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2007 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे । उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा ।

आज दिनांक 1-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

अमरनाथ वर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा(हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री अमरनाथ वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री किशन चन्द पुत्र श्री गाडीफू राम, निवासी गांव व डाकघर कुन्सल (ठारु), तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री किशन चन्द पुत्र श्री गाडिफू राम, निवासी गांव कुन्सल, डाकखाना कुन्सल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता गडिफू राम की मृत्यु दिनांक 5-9-1970 को महाल कुन्सल में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका । अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें ।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2007 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे । उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा ।

आज दिनांक 1-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

अमरनाथ वर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत नायब तहसीलदार/सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 8-10-2007

नम्बर मुकद्दमा : 7 / 2007 / NT

श्री अमर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी महाल लगडू , डाकघर लगडू , मौजा हबडोल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में ।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी :

श्री अमर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी महाल लगडू , डाकघर लगडू , मौजा हबडोल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय व्यान हल्फी पेश किया है कि उसका नाम

पंचायत व शैक्षणिक अभिलेख में अमर सिंह दर्ज है । परन्तु राजस्व अभिलेख में उसका नाम गलती से अमर चन्द दर्ज कागजात माल हो गया है । दुरुस्ती का आदेश दिया जावे ।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवम् एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 8-10-2007 को सुबह 10 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है वसुरत गैरहाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जावेगा ।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक..... को जारी हुआ ।

मोहर ।

जगदीश राम,
नायब तहसीलदार/सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री रामजीत, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 51/NT/05

उनवान मुकद्दमा : तकसीम भूमि

श्री नागपाल पुत्र श्री भूट्टू राम, वासी सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ।

. प्रार्थी ।

बनाम

सर्व श्री/श्रीमती रमेश चन्द पुत्र हनुमन्त वासी सन्साल 2. ओम प्रकाश 3. विजय कुमार पुत्र भगवान दास, 4. ललित चन्द 5. राज कुमार पुत्रान पूर्ण चन्द 6. रोशनी देवी पुत्री 7. तरलोकू उर्फ रमेश चन्द 8. कुशल कुमार पुत्र श्याम लाल 9. वलवन्त कुमार 10. सुख राम 11. रवि कुमार 12. कृष्ण कुमार 13. आम चन्द पुत्रान व 13. श्रीमती सुरेष्ठा देवी 14. कुसुम लता पुत्रियां 15. वरफी देवी विधवा मदन लाल 16. जितेन्द्र नाथ 17. विश्वानाथ पुत्रान मोती 18. विनोद कुमार 19. प्राण नाथ 20. विजय कुमार पुत्रान दीना नाथ 21. देवी दास 22. प्रताप चन्द 23. राम नाथ 24. औंकार चन्द पुत्रान अनिरुद्ध 25. मनी राम पुत्र सुन्दर लाल 26. मूल राज 27. रघुवीर पुत्रान 28. सन्तोष पुत्री 29. कृष्णा देवी विधवा मकरध्वज 30. अमरनाथ 31. ज्योति प्रकाश 32. राजिन्द्र कुमार पुत्रान विशन दास 33. अजय कुमार 34. विजय कुमार पुत्रान 35. रीता देवी पुत्री 36. सत्या भामा विधवा विशन दास 37. गरीबू पुत्र रांझा 38. धौगरू पुत्र रांझा 39. पूर्ण चन्द पुत्र बुधू 40. धौगरू 41. दीलू पुत्रान किरलू 42. ज्ञान चन्द 43. मिलाप चन्द पुत्र जौण्डा 44. पूर्ण चन्द 45. रघू नाथ पुत्र लोहारू 46. विधा राम पुत्र 47. कलासां 48. केशो पुत्रीयां प्रान्तों 49. पाला पुत्र मरचू 50. गरीब चन्द 51. माधो राम पुत्रान जौण्डा 52. भीमा पुत्र गोरख वासी सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ।

. प्रत्यार्थीगण ।

प्रार्थना-पत्र खाता नं0 6 खतौनी 9 ता 51, खसरा 399, 429, 430, 433, 280, 283, 282, 428/1, 428, 488, 489, 490, 500, 501, 502, 503, 530/431, 432, 419, 420, 531/431, 417, 125, 278, 418, 415, 416, 422, 379, 365/1, 369, 360, 270, 221, 223, 479, 481, 482, 484, 480, 483, 182, 176, 377, 378, 384, 385, 386, 387, 421,424, 426, 174, 175, 179, 281, 410 to 414, 425, 218, 376, 408, 409,

210, 380, 388, 389, 390, 809, 427, 524/288, 525/288, 205, 208, 196, 407, 423, 181, 86/1, 401, total khasra kita 85, रकवा 8-00-64 हैक्ट0, महाल व मौजा सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

प्रार्थी श्री नागपाल ने उक्त वर्णित भूमि की तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है । फरीक दायम को इस न्यायालय से कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनको साधारण तरीके से समन की तामील नहीं हो पा रही है ।

अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि फरीक दायम को साधारण ढंग से तामील करवाना कठिन है । अतः फरीक दायम को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 24-10-2007 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 5-9-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

रामजीत,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री R. K. Pruthi, मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

1. Shri Bachiter Singh, aged 31 years s/o Shri Munshi Ram, r/o Village Kangri, P.O. Nareli, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Sunita Devi, aged 29 years d/o Shri Ganpat Ram, r/o Village Jhirrahlari, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.).

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री Bachiter Singh & Sunita Devi ने दिनांक 6-8-2007 को हिन्दू रिती-रिवाज अनुसार Gasoteshwar Mahadev Mandir, Tehsil & District Hamirpur में शादी कर ली है जिसे स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है ।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2007 को सुबह 10.00 बजे या इस से पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 30-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

R. K. PRUTHI,
मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री R. K. Pruthi, मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर
(हि0 प्र0)

1. Shri Om Parkash, Age 40 years s/o Shri Ganga Ram, r/o Village Morsu Garla, P.O. Bhota, Tehsil Barsar, District Hamirpur.
2. Smt. Simro Devi, age 37 years d/o Shri Sunder Lal, r/o Village Ckowki Kankari, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री Om Parkash और श्रीमती Simro Devi ने दिनांक 14-11-2005 को हिन्दू रिती-रिवाज अनुसार Santoshi Mata Temple, Ladrou, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur में शादी कर ली है जिसे स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2007 को सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

R. K. PRUTHI,
मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री R. K. Pruthi, मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर
(हि0 प्र0)

1. Shri Brijesh Kumar, aged 31 years s/o Shri Puran Chand, r/o V.P.O. Chabutra, Tehsil Sujampur, District Hamirpur.
2. Smt. Anjali, aged 28 years d/o Shri Prem Chand, r/o Dasash, P. O. Anni, Tehsil Anni, District Kullu.

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री Brijesh Kumar और श्रीमती Anjali ने शादी कर ली है जिसे स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2007 को

सुबह 10.00 बजे या इस पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-09-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

R. K. PRUTHI,
मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री R. K. Pruthi, मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर
(हि0 प्र0)

1. Shri Rohli Ram] aged 58 years s/o Shri Sita Ram, r/o Village Guhal, P.O. Majhog Sultani, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Sarla Devi, aged 37 years d/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Katiara, P.O. Sarakar, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री Rohli Ram & Smt. Sarla Devi, ने दिनांक 11-7-2007 को हिन्दू रिती-रिवाज अनुसार Jhaniari Devi Mandir, Tehsil & District Hamirpur में शादी कर ली है जिसे स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2007 को सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

R. K. PRUTHI,
मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री R. K. Pruthi, मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर
(हि0 प्र0)

1. Shri Sunil Kumar, aged 24 years s/o Shri Prithi Chand, r/o V. & P. O. Raj Nagar, Tehsil & District Chamba.
2. Smt. Reena Kumari, aged 24 years d/o Shri Behami Ram, r/o Surela, P. O. Kharoti, Tehsil Salooni, District Chamba, C/o Shri Naresh Kumar Chaudhary s/o Shri Ram Lal, r/o House No. 3, Housing Board Colony, Hamirpur (H. P.).

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री Sunil Kumar & Smt. Reena Kumari, ने दिनांक 15-7-2007 को हिन्दू रिती-रिवाज अनुसार Santoshi Mata Mandir Near Petrol Pump, Ward No. 8, Naya Nagar, Tehsil & District Hamirpur में शादी कर ली है जिसे स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो, तो वह दिनांक 12-11-2007 को सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।

R. K. PRUTHI,
मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री R. K. Pruthi, मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर
(हि0 प्र0)

1. Shri Sonu Kumar, aged 26 years s/o Col. Matwar Singh, r/o Village Madhar Gehra, P.O. Utpur, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Kanchna Devi, aged 22 years d/o Shri Suresh Chand, r/o V. & P. O. Uhal, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री Sonu Kumar & Kanchna Devi ने (With in one month) शादी करनी है जिसे स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2007 को सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

R. K. PRUTHI,
मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री R. K. Pruthi, मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर
(हि0 प्र0)

1. Shri Chander Mohan Malhotra, aged 23 years s/o Shri Kewal Malhotra, r/o Ward No. 4, M. C. Area, Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Sarika Panwar, aged 19 years d/o Shri Bhupinder Singh ,r/o Village Narang, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H. P.).

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री Chander Mohan Malhotra & Smt. Sarika Panwar ने (With in one month) शादी करली है जिसे स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-11-2007 को सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

R. K. PRUTHI,
मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री R. K. Pruthi, मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर
(हि0 प्र0)

1. Shri Sahib Kumar, aged 24 years s/o Shri Surjeet Kumar, r/o Village Brahmani, P.O. Anu, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Neha Patial, aged 21 years d/o Shri Lekh Raj Patial, r/oVillage and Post Office Dugha, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री Sahib Kumar और श्रीमती Neha Patial ने दिनांक 17-4-2007 को हिन्दू रिती-रिवाज अनुसार Chamunda Mandir, District Kangra (H. P.) में शादी कर ली है जिसे स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2007 को सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

R. K. PRUTHI,
मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री R. K. Pruthi, मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर
(हि0 प्र0)

1. Shri Ravi Kumar, aged 26 years s/o Shri Kanshi Ram, r/o Village Beri Bagh, Tehsil & District Saharanpur (U. P.) at Present Ward No. 9, Roop Nagar Near Head Post Office, Bhota Chowk, Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Tara Vati, aged 24 years d/o Shri Bopal, r/o Village Beri Bagh, Tehsil & District Saharanpur (U. P.).

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री Ravi Kumar & Tara Vati ने (With in one month) शादी करनी है जिसे स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8-10-2007 को सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

R. K. PRUTHI,
मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री R. K. Pruthi, मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर
(हि0 प्र0)

1. Shri Ravi Kumar, age 26 years s/o Shri Shakti Chand, r/o Village Thana, P. O. Tihra, Tehsil Sujampur, District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Daljit Kaur, age 20 years d/o Shri Karnail Singh, r/o Mohalla Hargobindpur Nagar, Gali No. 1, jalandhar City (P. b.).

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री Ravi Kumar & Smt. Daljit Kaur (With in one month) में शादी करनी है जिसे स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो, तो वह दिनांक 12-11-2007 को

सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

R. K. PRUTHI,
मैरिज आफिसर एवम् उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जगदीश जग्गी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री बालम राम पुत्र श्री चेत राम, गांव कौशल, डाकघर पैहड़, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

श्री बालम राम पुत्र श्री चेत राम, गांव कौशल, डा0 पैहड़ ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी माता श्रीमती चिन्तो देवी की मृत्यु दिनांक 16-2-1999 को हुई है। लेकिन उससे अपनी स्वर्गीय माता की मृत्यु ग्राम पंचायत पैहड़ के अभिलेख में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाई है। अब उसकी माता की मृत्यु को दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत पैहड़ को दे दिये जायेंगे।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-8-2007 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर श्रीमती चिन्तो देवी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जगदीश जग्गी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री प्रदीप ठाकुर, स्पेशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0) सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

- (1) श्री विश्वानाथ सुपुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी भोजपुर, डा0 भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
- (2) श्रीमती आंसू खुलर सुपुत्री श्री युगल वर्मा, निवासी सुलतानपुर, डा0 व तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 17-5-2007 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 4-11-2005 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान शीतला माता मन्दिर भौण तहसील सुन्दरनगर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। इसलिए जेर धारा 15 स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के अनुसार उसका विवाह पंजीकृत किया जावे।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है, कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 8-10-2007 को प्रातः 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असागतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। अन्यथा दीगर कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 1-9-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

प्रदीप ठाकुर,
स्पेशल मैरिज अधिकारी,
(एस0 डी0 एम0) सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जगदीश जग्गी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री हरी दास पुत्र श्री नाजो, निवासी स्योह, डा0 स्योह, उप-तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।

श्री हरी दास पुत्र श्री नाजो, निवासी स्योह, डा0 स्योह, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम हरी दास है परन्तु कागजात माल महाल स्योह में उसका नाम गलत "हरीया" दर्ज चल आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन

में नकल परिवार रजिस्टर की छाया प्रति व अपने स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, नकल जमाबन्दी तथा नकल शजरा नकल प्रस्तुत कर रखी है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-8-2007 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मामले का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-07-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जगदीश जग्गी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

जयराम पुत्र श्री शिवराम, गांव बरदंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय .—प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत शकौली, उप-तहसील उदयपुर में प्रार्थी के सन्तानों की जन्म तिथि व नाम दरुस्ती हेतु।

जयराम पुत्र श्री शिवराम, गांव शकौली, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति ने इस कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नी रामदेवी से एक सन्तान पुत्री अंगनी देवी दिनांक 13-4-1995 को पैदा हुई है जो कि मुजहर की पहली सन्तान है ग्राम पंचायत शकौली के पैदाईश रजिस्टर में अंगनी देवी का नाम सरिता लिखा गया है तथा जन्म पैदाईश तिथि भी गलत इन्द्राज 1-8-1995 लिखा गया है और दूसरी सन्तान अभिषेक कुमार जन्म तिथि 26-1-1999 की है जिनका नाम ग्राम पंचायत शकौली के परिवार रजिस्टर में अभिषेक का नाम अनिल गलत दर्ज किया है तीसरी सन्तान अक्षय कुमार की जन्म पैदाईश तिथि 13-9-2001 की है अक्षय कुमार का नाम ग्राम पंचायत शकौली के पैदाईश रजिस्टर में अभिषेक गलत दर्ज किया गया है प्रार्थी बराये नौकरी पैशा होने के कारण बाहर रहता है जिस कारण मेरी पत्नी जो अनपढ़ व देहाती होने के कारण अपनी उपरोक्त सन्तानों के नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शकौली के परिवार रजिस्टर में सही दर्ज नहीं करवा सकी। अब प्रार्थी अपनी सन्तानों की जन्म तिथि नाम ग्राम पंचायत शकौली के पैदाईश रजिस्टर में सही दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदार को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के सन्तान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शकौली के पैदाईश रजिस्टर में पंजीकृत करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 25 सितम्बर, 2007 को असागतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र उपरोक्त प्रार्थी जयराम पुत्र श्री शिवराम, गांव शकौली के सन्तानों की जन्म तिथि ग्राब एवं नाम ग्राम पंचायत शाकोली के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-08-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

आरयन काकू पुत्र दावा छेरिंग, गांव उडगोस, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय .—प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर में दरुस्ती करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

आरयन काकू पुत्र दावा छेरिंग, गांव उडगोस, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति ने इस कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति के परिवार रजिस्टर में काकू लिखा गया है जबकि स्कूल प्रमाण पत्र मुताबिक मेरा नाम आरयन काकू है मेरे पिता अनपढ़ एवं देहाती आदमी होने से मेरी पैदाईश के समय ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर में काकू लिखा गया है अब प्रार्थी ग्राम पंचायत तिंगरट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति के परिवार रजिस्टर में अपना नाम आरयन काकू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर से आरयन काकू दर्ज करवाने हेतु कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 25 सितम्बर, 2007 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र उपरोक्त प्रार्थी आरयन काकू पुत्र छेरिंग, गांव उडगोस का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के अभिलेख में नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 24-08-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्री राकेश पुत्र परमचन्द, गांव शकौली, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय .—प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत शकौली में जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

राकेश पुत्र परमचन्द, गांव शकौली, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नी अनीता देवी से एक सन्तान निशान्त दिनांक 24-8-2207 को पैदा हुई है जो प्रार्थी की पहली सन्तान है प्रार्थी बराए नौकरी पेशा होने के कारण अपनी उपरोक्त सन्तान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत

शकौली के परिवार रजिस्टर में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब प्रार्थी अपने सन्तान निशान्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शकौली के पैदाईश रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की सन्तान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शकौली के पैदाईश रजिस्टर में पंजीकृत करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 25 सितम्बर, 2007 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र उपरोक्त प्रार्थी राकेश पुत्र परमचन्द, गांव शकौली के सन्तान का जन्म तिथि ग्राम पंचायत शकौली के अभिलेख में नाम दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिए जाएगा।

आज दिनांक 24-08-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया कार्यकारी दण्डाधिकारी उदयपुर जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्री अमीर पुत्र प्रेमलाल, गांव जसरथ, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए ग्राम पंचायत नालडा में जन्म पैदाईश तिथि दर्ज करवाने हेतू ।

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री अमीर पुत्र प्रेमलाल गांव जसरथ उप-तहसील उदयपुर जिला लाहौल-स्पिति ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नि के संजोग से एक सन्तान रिया दिनांक 22-02-2005 को पैदा हुई है जो प्रार्थी की दूसरी सन्तान है प्रार्थी बराये कारोबार के कारण घर से बाहर रहता है जिस कारण उपरोक्त सन्तान की जन्मतिथि समय पर ग्राम पंचायत नालडा के पैदाईश रजिस्टर में पंजीकृत नहीं करवा सका । अब प्रार्थी अपने सन्तान रिया का जन्म तिथि ग्राम पंचायत नालडा के पैदाईश रजिस्टर में पंजीकरण करवाना चाहता है ।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के सन्तान का जन्म तिथि ग्राम पंचायत नालडा के पैदाईश रजिस्टर में पंजीकृत करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 25 सितम्बर 2007 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है । अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी अमीर पुत्र श्री प्रेमलाल गांव जसरथ के सन्तान का जन्म तिथि ग्राम पंचायत नालडा के पैदाईश रजिस्टर में नाम दर्ज करके परिवार रजिस्टर में इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा ।

आज दिनांक 24-08-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर ।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया कार्यकारी दण्डाधिकारी उदयपुर जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी अरबिन्द, गांव करपट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत चिमरट में जन्म पैदाईश तिथि दर्ज करवाने हेतू ।

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी अरबिन्द गांव करपट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नि से एक सन्तान समीक्षा दिनांक 17-10-2006 को पैदा हुई है जो प्रार्थी की दूसरी सन्तान है प्रार्थी के पति बराए मजदूरी पेशा होने के कारण अपनी उपरोक्त सन्तान की जन्मतिथि समय पर ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में पंजीकृत नहीं करवा सका । अब प्रार्थीनी अपने सन्तान समीक्षा का जन्म तिथि ग्राम पंचायत चिरट के पैदाईश रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है ।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थीनी के सन्तान का जन्म तिथि ग्राम पंचायत चिमरट के पैदाईश रजिस्टर में पंजीकृत करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 25 सितम्बर 2007 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना ऐतराज पेश कर सकता है । अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थीनी निर्मला देवी पत्नी अरबिन्द गांव करपट के सन्तान का जन्म तिथि ग्राम पंचायत चिमरट के अभिलेख में नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिया जाएगा ।

आज दिनांक 24-08-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर ।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया कार्यकारी दण्डाधिकारी उदयपुर जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्री सोभा राम पुत्र भगतराम, गांव बरोड, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने हेतू ।

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री सोभा राम पुत्र भगत राम गांव बरोड उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपने छोटे भाई की पत्नी श्रीमती भागदेई के संजोग से रिवाजे कोम व मुल्क बहु पति प्रथा के एक पुत्र मुकेश दिनांक 4-10-1983 को पैदा हुआ है ज्ञान सिंह की मृत्यु बाद भागदेई प्रार्थी सोभाराम के साथ बतौर पत्नी रहती चली आ रही है जबकि ग्राम पंचायत तिन्दी के परिवार रजिस्टर में श्रीमती भागदेई का नाम मेहरचन्द के परिवार के साथ दर्शाया गया है और भागदेई परिवार का मुख्य दर्शाया गया है। भागदेई मेरे साथ रहने व बतौर पत्नी होने के प्रार्थी ग्राम पंचायत तिन्दी के गांव बरोड के परिवार रजिस्टर में भागदेई का नाम अपने परिवार के साथ दर्ज करवाना चाहता है ।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थीनी भागदेई का नाम सोभाराम के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 24 सितम्बर 2007 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है । अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थीनी भागदेई का नाम सोभाराम के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिया जाएगा ।

आज दिनांक 24-08-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया कार्यकारी दण्डाधिकारी उदयपुर जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्री नोरबू राम पुत्र फुन्चोग, गांव खंजर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.—परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती करवारे बारे ।

नोटिस बनाम आम जनता ।

प्रार्थी नोरबू राम पुत्र फुन्चोग, गांव खंजर उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति ने एक आवेदन-पत्र व शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रार्थी का

नाम ग्राम पंचायत तिंजरट में गांव खंजर के परिवार रजिस्टर में रिगजिन नोरबू लिखा गया है । जबकि फोटो पहचान-पत्र HP/02/055/018022 प्रार्थी का नाम नोरबूराम लिखा गया है प्रार्थीनी का पिता अनपढ़ एवं देहाती आदमी होने से प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत तिंजरट के परिवार रजिस्टर में रिगजिन नोरबू लिखा दिया है प्रार्थी को गांव तथा समाज में नोरबूराम के नाम से पुकारा जाता है प्रार्थी ग्राम पंचायत तिंजरट उप तहसील उदयपुर के परिवार रजिस्टर में अपना नाम नोरबूराम करवाना चाहता है ।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत तिंजरट में रिगजिन नोरबू की जगह नोरबूराम दुरुस्ती करवाने हेतु कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 25 सितम्बर 2007 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना ऐतराज पेश कर सकता है । अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में मुताबिक शपथ-पत्र ग्राम पंचायत तिंजरट के अभिलेख में नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिया जाएंगे ।

आज दिनांक 24-08-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया कार्यकारी दण्डाधिकारी उदयपुर जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्री कुन्ती देवी पत्नी हीरानन्द, गांव झोलिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत थिरोट में जन्म पैदाईश तिथि दर्ज करवाने हेतु ।

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्रीमती कुन्ती देवी पत्नी हीरानन्द, गांव झोलिंग उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थीनी को अपनी पति के संजोग से एक सन्तान गौरव दिनांक 25-03-2007 को पैदा हुई है जो प्रार्थीनी की दूसरी सन्तान है प्रार्थी के पति फोज में नौकरी पेशा होने के कारण घर से बाहर रहता है जिस कारण उपरोक्त सन्तान की जन्म तिथि समय पर ग्राम पंचायत थिरोट के पैदाईश रजिस्टर में पंजीकृत नहीं करवा सका । अब प्रार्थीनी अपने सन्तान गौरव का जन्म तिथि ग्राम पंचायत थिरोट के पैदाईश रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है ।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थीनी के सन्तान का जन्मतिथि ग्राम पंचायत थिरोट के पैदाईश रजिस्टर में पंजीकृत करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 25 सितम्बर 2007 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना ऐतराज पेश कर सकता है । अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थीनी कुन्ती देवी पत्नी हीरानन्द

गांव झोलिंग के सन्तान का जन्म तिथि ग्राम पंचायत थिरोट के अभिलेख में नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिया जाएगा ।

आज दिनांक 24-08-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री जिया लाल चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवंम् नायब तहसीलदार, चड़गांव,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती प्रमिला देवी विधवा स्व0 श्री केसर सिंह, निवासी चड़गांव, तहसील चड़गांव, जिला शिमला,
(हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

ग्राम पंचायत अभिलेख में दुरुस्ती करवाने हेतु ।

श्रीमती प्रमिला देवी विधवा स्व0 श्री केसर सिंह, निवासी चड़गांव, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित इस अदालत में आवेदन किया है कि कार्यालय ग्राम पंचायत चड़गांव के परिवार रजिस्टर में उसे प्रमिला देवी पुत्री श्री भगत राम दर्शाया गया है जो कि दुरुस्त किया जाकर प्रमिला देवी पत्नी स्व0 श्री केसर सिंह किया जाए, क्योंकि वह स्व0 केसर सिंह की विवाहिता पत्नी है ।

अतः आम जनता व संबन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी को इस दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 03-10-2007 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 01-10-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर।

जिया लाल चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव,
जिला शिमला (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री ओ0 पी0 ठाकुर, सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री गीता राम पुत्र मूरत सिंह, निवासी भडोट, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0

. .प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

विषय.—आवेदन—पत्र बराए इन्तकाल मकफूद—उल—खबरी दर्ज व तस्दीक करने हेतु ।

श्री गीता राम पुत्र मूरत सिंह, निवासी भडोट, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका पिता श्री मूरत सिंह अरसा लगभग 20 वर्षों से सन्यास ले चुका है तथा आज दिन तक घर वापस नहीं आया है । उसके जीवित रहने की भी कोई खबर नहीं है । अतः आवेदक ने यह निवेदन किया है कि उसके पिता का बरास्त इन्तकाल नं0 150 जो दर्ज कागजात माल है जायज वारसान के हक में तस्दीक किया जावे ।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त इन्तकाल तस्दीक करने बारा उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8—10—2007 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असागतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इन्तकाल तस्दीक कर दिया जाएगा ।

आज दिनांक 5—9—2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया ।

मोहर ।

ओ0 पी0 ठाकुर,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग जुब्बल,
जिला शिमला (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री ओ0 पी0 ठाकुर, सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री नवीन कुमार पुत्र छज्जू राम, निवासी पुजारली, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0

. .प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थी ।

विषय.—आवेदन—पत्र बराये इन्तकाल मकफूद—उल—खबरी दर्ज व तस्दीक करने हेतु ।

श्री नवीन कुमार पुत्र छज्जू राम, निवासी पुजारली, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका पिता श्री छज्जू राम अरसा लगभग 20 वर्षों से लापता है तथा आज दिन तक घर वापस नहीं आया है । उसकी जीवित रहने की भी

कोई खबर नहीं है । आवेदक ने यह निवेदन किया है कि उसके पिता का इन्तकाल बरास्त जायज वारसान के हक में तस्दीक किया जावे ।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त इन्तकाल तस्दीक करने बारा उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8-10-2007 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इन्तकाल बहक जायज वारसान तस्दीक किया जाएगा ।

आज दिनांक 5-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ ।

मोहर ।

ओ० पी० ठाकुर,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग जुब्बल,
जिला शिमला (हि० प्र०) ।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

श्री हिरा सिंह सपुत्र श्री बलवन्त सिंह, निवासी चढाऊ, डा० छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, (हि० प्र०)
।

बनाम

आम जनता

दरखास्त अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत ।

श्री हिरा सिंह ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसके लड़के जीवन कुमार का जन्म दिनांक 17-9-1995 को हुआ है परन्तु गलती से जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई है ।

अतः आम जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड छकोह में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-9-2007 को 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतान या वकालतान हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा सचिव सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जायेगा ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर,
जिला बिलासपुर (हि० प्र०) ।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

श्री नन्द लाल चौहान सपुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी डुंगलू, डाकघर नम्होल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) । .प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराए पंचायत अभिलेख नम्होल में शादी दर्ज करने बारा ।

श्री नन्द लाल चौहान ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी शादी दिनांक 7-5-2006 को मुताबिक हिन्दु रीति रिवाज से रीता देवी सपुत्री श्री किरपा राम, निवासी च्यामा, डा0 डुमैहर बन्नी, तह0 कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0) के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नि आपस में रह रहे हैं परन्तु गलती से शादी का इन्द्राज पंचायत अभिलेख नम्होल में दर्ज नहीं करवाया है ।

अतः आम जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 19-9-2007 को 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा सचिव सम्बन्धित पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जायेगा ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 264/NT/07.

श्री गोदम कपूर

बनाम

आम जनता ।

विषय .—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हि0 प्र0 पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री गोदम कपूर पुत्र स्व0 श्री किरपा राम, निवासी भागसूनाथ, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री गरिमा कपूर का जन्म दिनांक 24-2-2005 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिए जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त गरिमा कपूर का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-10-2007 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे ।

आज दिनांक 31-8-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर ।

आर० डी० हरनोट,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

न्यायालय श्री एस० आर० शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

स्थानीय इशतहार

बनाम

आम जनता

श्री पारछू पुत्र श्री तनजिन, साकन तिब्बन शर्ण्ठी हाल हनुमानी वाग,डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के लोवसंग झारसो का जन्म दिनांक 20-8-1982 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपने लड़के के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण नगर पंचायत कुल्लू में जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपने लड़के के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू तथा सचिव नगर पंचायत कुल्लू द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि लोवसंग झारसो के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लोवसंग झारसो के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में इशतहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी और लोवसंग झारसो के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू में जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 24-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

एस० आर० शर्मा,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

न्यायालय श्री एस0 आर0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

स्थानीय इश्तहार

बनाम

आम जनता

श्री सुदर्शन कुमार पुत्र श्री धियान चन्द, साकन रुमसू, डाकघर नगर, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के ईशान ठाकुर का जन्म दिनांक 10-6-2004 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपने लड़के के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण ग्राम पंचायत नगर के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है परन्तु अब आवेदनकर्ता अपने लड़के के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत नगर में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू तथा सचिव ग्राम पंचायत नगर द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया है कि ईशान ठाकुर के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ईशान ठाकुर के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत, नगर में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी और ईशान ठाकुर के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत, नगर के जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 24-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

एस0 आर0 शर्मा,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

न्यायालय श्री एस0 आर0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

स्थानीय इश्तहार

बनाम

आम जनता

श्री नामञ्जाल दोरजे पुत्र श्री नामंग दोरजे, साकन तिब्तन शर्णार्थी हाल हनुमानी वाग, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के तनजिन लोवसंग का जन्म दिनांक 14-5-1977 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपने लड़के के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण नगर पंचायत, कुल्लू के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपने लड़के के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत, कुल्लू में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू तथा सचिव नगर पंचायत, कुल्लू द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि तनजिन लोवसंग के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तनजिन लोवसंग के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत, कुल्लू में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी और तनजिन लोवसंग के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत, कुल्लू में जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 24-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

एस0 आर0 शर्मा,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

न्यायालय श्री एस0 आर0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

स्थानीय इश्तहार

बनाम

आम जनता

श्री नामजाल दोरजे पुत्र श्री नामंग दोरजे, साकन तिब्बन शर्णार्थी हाल हनुमानी वाग, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की छेतन डोलमा का जन्म दिनांक 3-11-1985 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपनी लड़की के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण नगर पंचायत, कुल्लू में जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपनी लड़की के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत, कुल्लू में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू तथा सचिव नगर पंचायत, कुल्लू द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि छेतन डोलमा के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को छेतन डोलमा के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत, कुल्लू में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी और छेतन डोलमा के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत, कुल्लू में जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 24-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

एस0 आर0 शर्मा,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विनय सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं स्पेशल मैरिज ऑफिसर, मनाली,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

Shri Vijay Prem son of Shri Prem Chand of village Jhadag (Alleo) Phati Vashishat] Tehsil Manali
District Kullu (H. P.).

With

Avirmathi d/o Shri Kuppuswamy] r/o No. 5] Second Floor II Pay Thoppe B Street, Aisur-Banglore-
8 at Present Mr. Bobby near Guru wara-road, Manali, District Kullu (H. P.) ..प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—नोटिस स्पेशल मैरिज ऐक्ट 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकृत बारे।

इस अदालत में उपरोक्त प्रार्थीगण ने स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह की पंजीकृत करने
बारे दरखास्त गुजारी है कि वह आपस में कानूनी तौर से अपना विवाह पंजीकृत करना चाहते हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस विवाह की
पंजीकृत करने में किसी किस्म की आपत्ति व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन अथवा वकालतन
हाजिर हो कर तिथि 3-10-2007 को अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है।

आज दिनांक 3-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

विनय सिंह,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं स्पेशल मैरिज ऑफिसर,
मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

**HIMACHAL PRADESH STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
VIPNAN BHAWAN, KHALINI, SHIMLA-171002.**

NOTIFICATION

Shimla-2, 1. 9.2007

No.HMB (A) 3-1/98-Vol-II.—In exercise of the powers conferred by Section 85 of the Himachal Pradesh State Agricultural and Horticultural Marketing Produce (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005), the H.P. State Agricultural Marketing Board, with the prior approval of the Government of Himachal Pradesh Agriculture Department conveyed vide letter No. Agr. F(7)-8/2006, dated 11.10.2006 and 1.3.2007 and vide its resolution No.5 of the meeting of the Board held on 24.8.2007, is pleased to frame and notify the **“Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board and Committees (Employees Contributory Provident Fund) Regulation, 2006** to regulate the salaries,

allowances and other conditions of service of Officers and other employees of the Board and Agricultural Produce Market Committees, as follow:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board and Committees (Employees Contributory Provident Fund) Regulation, 2006.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these Regulations unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing (Development And Regulation) Act, 2005(Act No.20 of 2005);

(b) “Board” means Himachal Pradesh State Agriculture Marketing Board;

(c) “Managing Director” means the Managing Director of the Board appointed under section 9 of the Act;

(d) “emoluments” means pay, leave salary or subsistence grant as defined in the Fundamental Regulations and includes-

(i) dearness Pay, dearness allowance, leave salary or subsistence grant, if admissible;

(ii) any wages paid by the Board to the employees not remunerated by fixed monthly pay; and

(iii) any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service;

(e) “Family” means-

(i) in the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, un-married sisters, deceased sons widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent ; Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community, to which she belongs to be entitled to maintenance and she shall be henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber’s family in matters to which these Regulations relates unless the subscriber subsequently intimates, in writing to the Managing Director that he shall continue to be so regarded; and

(ii) in the case of female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased sons widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent’s:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Managing Director express her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber’s family in matters to which these Regulations relate,

unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

NOTE.— “child” means legitimate/ illegitimate child and includes adopted child’ where adoption is recognized by personal law governing the subscriber, or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890(8 of 1890), who lives with the servant of the Board and is treated as a member of the family and to whom the servant has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

- (f) “Government” means the Government of Himachal Pradesh.;
- (g) “interest” means interest accrued on the balance at credit of a subscriber to the Provident Fund calculated if such balance were deposited in the saving bank account;
- (h) “leave “means any kind of leave recognized by the fundamental Rules or Revised Leave Rules, 1972 applicable to the subscriber;
 - (i) “Provident Fund” means the Contributory Provident Fund established by the Board under section 85(C) of the Himachal Pradesh Agricultural Horticulture Produce Marketing(Development And egulation) Act,2005
 - (j) “servant” means every employee including daily waged employees who has completed one year’s continuous service in the Board/Market Committees and every such servant shall be eligible to subscribe to the Provident Fund:

Provided that no such servant who is required or permitted to contribute or who is actually contributor to any other scheme of Provident Fund shall not be eligible to join or continue as a subscriber to the provident Fund, while he retains the right to subscribe to such a provident Fund;

- (k) “service” means service of the subscriber from the date of his joining the service of the Board/Market Committees;
 - (l) “subscriber” means a servant who is required or permitted to subscribe to the Provident Fund; and
- (m) “Year” means the financial year.

3. Establishment of Provident Fund.— (1) The Board shall establish a Provident Fund to which each employee shall be required to pay a monthly contribution of 10% of the basic pay, DP and DA to the Contributory Provident Fund, after completion of one year of service.

Provided that a subscriber if he so desires may contribute to the provident Fund at a higher rate not exceeding his basic pay.

(2) The amount of subscription so fixed may be reduced once at any time and enhanced twice during the course of the year but amount so reduced should not be less than limit specified in sub Regulation(1) of this regulation.

4. Condition of eligibility.— These Regulations shall apply to all servants of the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board and Agriculture Produce Market

Committees except those who are governed or covered under any other Provident Fund Rules.

5. Realization of subscription.—(1) Every servant to whom these Regulations apply shall subscribe to the Provident Fund. Subscription to the Provident Fund shall be recovered by means of deduction of the amount from salary bill of each month and the amount shall be in whole rupees.

(2) Notwithstanding anything contained in regulation 3, a subscriber shall subscribe monthly to the provident fund except during the period when he is under suspension:

Provided that a subscriber may, at this option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary equal to or less than half pay or half average pay:

Provided further that a subscriber on re-instatement, after a period passed under suspension, shall be allowed the option of payment in lump-sum or in installments any sum not exceeding the maximum amount of arrear subscription payable for that period.

(3) If a servant admitted to the benefit of the Provident Fund was previously a subscriber to any other contributory or non contributory Provident Fund of Central Government, the amount of his subscriptions and Government contribution in other Contributory Provident Fund or amount of his subscription in non Contributory Fund, as the case may be, together with interest thereon, shall be transferred to his credit in the Provident Fund.

(4) If a servant admitted to the benefit of the Provident Fund was previously a subscriber to any other Government Contributory Provident Fund or non- Contributory Provident Fund, the amount of his subscription and the Government. Contribution in the Contributory Provident Fund or the amount of his subscription in the non-Contributory Provident Fund, as the case may be, together with interest thereon, shall be transferred to his credit in the Provident Fund with the consent of the other Government.

NOTE 1.—The provisions of sub-Regulations (3) and (4) shall not apply to a person who has retired and is subsequently re-employed, with or without a break in service, or to a person who was holding the former appointment on contract.

Note 2. —The provisions of this regulation shall, however, apply to persons who are appointed without break, whether temporarily or permanently to a post carrying the benefit of these Regulations after resignation or retrenchment from service under another Government department of Central Government or under the State Government.

Note 3. — The provisions of sub-Regulation (4) shall also apply mutatis mutandis to persons who are transferred, without any break, from service under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation registered under Societies Registration Act. 1860.

6. Transfer to foreign service or deputation out of India.—When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to Regulations of the Provident Fund in the same manner as if he was not so transferred or sent on deputation.

7. Nominations.—(1). A subscriber shall, at the time of joining the provident fund, send

to the Managing Director through Head of Office a nomination, conferring one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Provident Fund in the event of his death, before the amount has become payable or having become payable has not been paid:

Provided that , if, at the time of making the nomination the subscriber has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the member of his family:

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other Provident Fund to which he was subscribing before joining the Provident Fund shall, if the amount to his credit in such other Fund has been transferred to his credit in this Provident Fund, be deemed to be a nomination duly made under this regulation until he makes a nomination in accordance with this regulation.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-regulation(1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Provident Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the Form set forth in the Schedule appended to these Regulations.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Managing Director. The subscriber shall, alongwith such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(5) A subscriber may provide in a nomination,-

(a)- in respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination; provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of the such person in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee; and

(b) that the nomination shall become invalid in the event of happening of a contingency specified therein: Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of his family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause(a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-regulation (5) or on the

occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-regulation (5) or the proviso therefore, the subscriber shall send to the Managing Director a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Managing Director.

8. Subscriber's Accounts.—(1) An account shall be opened in the name of each subscriber and Provident Fund Account number allotted to the subscriber shall be entered in his service book. The amount of subscription, interest thereon, employer contribution and interest thereon, advances and withdrawals from the Provident Fund shall be shown in the account of subscriber.

(2). A statement showing the balances appearing in the account of each subscriber at the close of financial year shall be supplied to each subscriber every year in the form set forth in the schedule appended to these regulation.

9. Contribution by Board.—The Board/Market Committees shall make contribution at the end of every month to the Provident Fund account of each subscriber of an amount equal to ten percent of his emoluments expressed in whole rupees or as the State Government by general or special order may specify:

Provided that no contribution shall be payable in respect of any period for which the subscriber is permitted under the Regulations not to, or does not, subscribe to the Provident Fund.

10 Interest.—(1)The Board shall pay to the credit of account of a subscriber interest, at such rate as the Government may from time to time prescribe for the payment of interest on subscription to the General Provident Fund, on the amount to his credit in the Provident Fund.

(2) Interest shall be credited on the 31st March of each year in the following manner:—

(i)on the amount to the credit of a subscriber on the 31st March of the preceding year, reduced by the amount if any, advance/withdrawn during the current year;

(ii)on sums withdrawn during the current year interest from Ist April of the current year upto the last day of the month proceeding the month of withdrawal ;

(iii) on all the sums credited to the subscriber's account after 31st March of the preceding year interest from the date of deposit upto 31st March of the current year;

(iv) the total amount of interest shall be rounded off to the nearest rupee (fifty paise counting as next higher rupee):

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall there upon be credited under this regulation in respect of only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber become payable.

(3) In addition to any amount to be paid under regulation 21, interest thereon upto the end of the month preceding that in which the payment is made, or upto the end of sixth month after the month in which such amount became payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid:

Provided that, where the Managing Director has intimated to the person or his agent the date on which he is prepared to make payment in cash, or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated, or the date of posting the cheque, as the case may be.

11. Advances from the Provident Fund.— (1) The Managing Director may sanction the payment to any subscriber of an advance not exceeding six month's pay or half the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes :—

- (a) to pay expenses in connection with illness, confinement or a disability, including where necessary, the traveling expenses of the subscriber and members of his/her family or any person actually dependent on him/her.
- (b) to meet the cost of higher education, including where necessary, the traveling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely :-
 - (i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
 - (ii) for any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond High School stage; provided that the course of study is for not less than three years;
- (c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;
- (d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source;

- (e) to meet the cost of subscriber's defence where he/she engages a legal practitioner to defend himself/herself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his/her part; and
- (f) to purchase consumer durables such as TV, VCR/VCP, washing machines, cooking range, Geysers- and computers.

(2) The Authority may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of any advance if it is satisfied that the subscriber concerned require the advance for reasons other than those mentioned in sub-regulation(1).

(3) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-regulation (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance:

Provided that an advance shall in no case exceed the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund.

(4) When an advance is sanctioned under sub-regulation(3) before repayment of last instalment of any previous advance is completed, the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

12. Recovery of advances.—(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly installments as the Managing Director may direct, but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and more than twenty four. In special cases, where the amount of advance exceeds six month's pay of the subscriber under sub-regulation(3) of regulation 11, the Managing Director may fix such number of instalments to be more than twenty four but in no case more than thirty six . A subscriber may, at his option, make repayment in smaller number of installments than prescribed.

(2) The recovery shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent, while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be. The recovery may be postponed on the subscriber's written request, by Managing Director during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

13 Wrongful use of advance.—Notwithstanding anything contained in these Regulations, if the Managing Director has reasons to doubt that money drawn as an advance from the Provident Fund under regulation 11 has been utilized for a purpose other than that for which sanction was given to the drawl of money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing, within 15 days of the receipt of such communication, whether the advance has been utilized for the purpose for which sanction was given to the drawl of the money. If the Managing Director is not satisfied with the

explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the Managing Director shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Provident Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in lump sum from the emoluments of the subscriber even if he/she be on leave. If, however, the total amount to be repaid is more than half the subscribing emoluments, recoveries shall be made in monthly installments of moieties of his/her emoluments till the entire amount is repaid by him/her.

Note.—The term “emoluments” in this regulation does not include subsistence grant.

14. Withdrawal from the Provident Fund. —(1). Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned by the Managing Director for special reasons under sub-regulation (3) of regulation 11, at any time.—

(A) after the completion of fifteen years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund, for one or more the following purposes, namely:—

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the traveling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely:—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond the High School stage; and

(b) meeting the expenditure in connection with betrothal/marriage of the subscriber or his /her sons or daughters, and any other female relation actually dependent on him/her.

(c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the traveling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(d) meeting the cost of consumer durables such as T.V., VCR/VCP, washing machines, cooking range, Geysers and computers;

(B) during the service of a subscriber from the amount of subscription and interest thereon standing to his /her credit in the Provident Fund for one or more of the following purposes, namely:-

(a) constructing or acquiring a suitable house or ready built flat for his/her residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by the Authority or a house of a Co-operative Society.

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken to construct or acquire a suitable house or ready built flat for his/her residence;

(c) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;

(d) renovating , additions or alterations or up keep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from the Authority at a place other than the place of duty;

(e) purchasing a house site to construct a house thereon for his/her residence; and

(f) constructing a house on a site purchased under clause (e);

NOTE 1.— The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of clause (B) shall not exceed $3/4^{\text{th}}$ or the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a) of clause (B) reduced by the amount of previous withdrawals.

NOTE 2.— Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this regulation. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of clause (B) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note-I.

NOTE 3.— A withdrawal under this regulation shall not be sanctioned if an advance under regulation- 11 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

15. Conditions for withdrawal. —(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in regulation 14 from the amount standing to his credit in the Provident Fund shall not ordinarily exceed one half of the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund or six month's pay, whichever is less. The Managing Director may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto $3/4^{\text{th}}$ in the case of withdrawals under clause (A) and 90% in the case of withdrawals under clause (B) of sub-regulation (1) of regulation 14 of the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund having due regard to,-

(i) the object for which the withdrawal is being made;

(ii) status of the subscriber; and

(iii) amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber .

(16) Conversion of an advance into a withdrawal.—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under regulation 11 for any of the purposes specified in sub-regulation (1) of regulation 14 may convert, at his discretion by written request addressed to the Managing Director the balance outstanding against it into a final withdrawal, on his satisfying the conditions laid down in Regulations 14 and 15.

NOTE I.—For the purpose of sub-regulation (1) of regulation 15, the amount on subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

(17) Final withdrawal of accumulations in the Provident Fund.—When a subscriber quits the service, the amount standing to his credit in the Provident Fund shall, subject to any deduction under regulation 20 become payable to him:

Provident, that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Board, repay any amount paid to him from the Provident Fund in pursuance of this regulation, with interest thereon at the rate provided in regulation 10 and in the manner provided in the proviso to regulation 18. The amount so repaid shall be credited to his account in the Provident Fund, the part which represents his subscriptions and interest thereon, and part of which represents Board's contribution with interest thereon, being accounted for in the manner provided in regulation-8.

(18) Explanation.- A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, with or without break in service, shall not be deemed to quit the service, when he is transferred without any break in service to a new post under a State Government or in another department of the Central Government (in which he is governed by another set of Provident Fund Rules) and without retaining any connection with his former post. In such a case, his subscription and Board's contribution, together with interest thereon shall be transferred,—

(a) to his account in the other Provident Fund in accordance with the Regulations of the Provident Fund, if the new post is in another department of Government, or

(b) to a new account under the State Government concerned if the new post is under a State Government and State Government consents by general or special order, to such transfer of his subscriptions, the Board's contribution and interest.

19. Retirement of subscriber.—When a subscriber –

(a) has proceeded on leave preparatory to retirement, or

(b) while on leave, has been permitted to retire or declared by a competent medical authority to be unfit for further service, the amount of subscription and interest

thereon standing to his credit in the Provident Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Managing Director, become payable to the subscriber:

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall, except where the Authority decided otherwise, repay to the Provident Fund for credit to his account, the amount paid to him from the Provident Fund in pursuance of this rule with interest thereon at the rate provided in regulation 10 in cash or securities, by installments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the Managing Director an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-regulation (3) of regulation 11.

20. Procedure on death of subscriber.—Subject to any deduction under regulation 20, on the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made;

(i) when the subscriber leaves a family.—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of regulation 7 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Provident Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) if no such nomination in favour of a member or members of the family, of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of amount standing to his credit in the Provident Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to.—

(1) sons who have attained majority;

(2) sons of a deceased son who have attained majority;

(3) married daughters whose husbands are alive;

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive; if there is any member of the family other than those specified in items (1), (2) (3) and (4):

Provided also that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of item (1) of the first proviso. (ii) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of regulation 7 in favour of any person or persons subsists,

the amount standing to his credit in the Provident Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

21. Deduction.—Subject to condition that no deduction may be made which reduces the credit by more than the amount of any contribution by the Board with interest thereon credited under Regulations 9 and 10, before the amount standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund is paid out of the Provident Fund,-

- (I) the Government may direct the deduction there from and payment to the Board of –
- (i) all amounts representing such contribution and interest, if the subscriber is dismissed from service due to misconduct, insolvency or in efficiency:

Provided that where the government is satisfied that such deduction would cause exceptional hardship to the subscriber, it may, by order, exempt from such deduction and amount not exceeding two third of the amount of such contribution and interest which would have been payable to the subscriber, if he had retired on medical grounds:

Provided further that if any such order of dismissal is subsequently cancelled, the amount so deducted shall, on his reinstatement in the service be replaced to his credit in the Provident Fund.

- (ii) all amounts representing such contribution and interest, if the subscriber within five years of commencement of his service as such, resigns from the service or cease to be an employee of the Board otherwise than by reasons of death, superannuation, or a declaration by a competent medical authority that he is unfit for further service, or the abolition of the post or the reduction of establishment.

(II) the government may direct the deduction there from and payment to the Board of any amount due under a liability incurred by a subscriber to the Board.

NOTE-1.—For the purpose of sub-clause (ii) of clause (A) of this regulation-

- (a) the period of five years shall be reckoned from the commencement of the subscriber's continuous service under the Board;

- (b) resignation from service in order to take appointment in another department of the Central Government or under the State Government or under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 without any break and with proper permission of the Board, shall not be treated as resignation from service of the Board.

NOTE-2.—The powers of the Government under this regulation may, in respect of the amounts referred to therein, also be exercised by the authority competent to

sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-regulation (3) of regulation-11.

22. Manner of payment of amount in the Provident Fund.—(1).When the amount standing to the credit of a subscriber in the Provident Fund or the balance thereof after deduction under regulation 20 becomes payable, it shall be the duty of the Administrative Officer after satisfying himself when no such deduction has been directed under this regulation, that no deduction is to be made, to make payment on receipt of a written application in this behalf.

(2) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Provident Fund, the Managing Director shall send to every subscriber necessary forms. The subscriber shall submit the application to the Managing Director through Administrative Officer.

(3) The final payment to the subscriber shall be sanctioned by the Managing Director immediately after fulfilling the requisite formalities.

23. Application of Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 for matters not specified in these Regulations.—The provisions of Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, as amended from time to time, shall be applicable to the employees of the Board governed under these Regulations, in respect of the matters not specifically provided and which are not inconsistent with the provisions made under these Regulations.

By order,
Sd/-
Managing Director
-Cum-
Member Secretary

SCHEDULE

{See regulation 7 (3)}

Account

No. _____

I, _____ hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member (s)/non-member(s) of my family as defined in regulation 2 of the Himachal Pradesh Agricultural Horticulture Produce Marketing (Employees Contributory Provident Fund) Regulation 2006, to receive the amount that may stand to my credit in the Provident Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Name and full Address or nominees (s)	Relationship with the subscribe	Age of the nominee (s)	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid	Name, address and relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber	If the nominee is not a member of the family as provided in regulation 2, indicate the reasons
1.	2	3	4	5	6	7.

Dated this.....day of
200.....at.....

Signature of the subscriber.....
Name in Block letters.....
Designation.....
Signature.....

Two witnesses to signature
Name and address

1. -----

2. -----

(Reverse of the form)

Space for use by the Head of Office/pay & Accounts Office Nomination by Sh./Smt./
Kumari-----Designation-----

Date of receipt of nomination-----

Signature of Head of Office/Pay & Accounts Officer
Designation-----
Date-----

Instruction for the subscriber.—

- (a) Your name may be filled in.
- (b) Name of the fund may be completed suitably.
- (c) Definition of term “family” as given in the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board (Employees Contributory Provident Fund) Regulation 2006, is reproduced below.

“Family” means.—

- (i) in the case of male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sister, deceased son’s widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber’s family in matters to which these Regulations relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Managing Director that she shall continue to be so regarded.

- (ii) in the case of female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son’s widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparent:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Managing Director expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber’s family in matters to which these Regulations relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

NOTE.—“Child” means legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognized by the personal law governing the subscriber or a ward under the Guardians and Wards Act, 1930 (8 of 1890), who lives with the servant of the Authority and is treated as a member of the family and to whom the servant has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

- (d) Col. 4. If only one person is nominated the words “in full” should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the

We certify that the above credits/debits are based on the available record and these are subject to verification/retification for any over-credits/debits at the time of final payment.

Palace: Shimla-171002

Date:

Audit Officer

Managing Director

**Verification
Slip**

I hereby certify that to the best of my knowledge and information, the balances shown above, are correct OR are incorrect for the reasons given overleaf.

Signature of subscriber

